तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/7/18	वकुलाय उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड प्राप्त हो चुका है, जो शा0मि0 किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खतेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का दावा किया। पत्रावली तलबी में ही नियत थी। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालत आयोजित होने से पत्रावली कैम्प चूरा में रखी गई तथा अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में ही वाद खारिज कर दिया। राजस्व लोक अदालत के अन्तर्गत पक्षकारान में आपसी सहमति होने की स्थिति में ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में विधिक प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना ही प्राथमिक स्तर पर प्रकरण में आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन करते हुए जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। यदि पत्रावली प्रतिप्रेषित की जाती है, तो उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में ही नियत थी। इसके पश्चात प्रकरण का राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया को पूर्णतः अनदेखा करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो किसी भी स्थिति में समर्थन योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2014 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली राजस्व अपील प्राधिकारी	L.C का रेकर्ड भेजा गया। 122 23.7.19